न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **04/22 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2022/84

1. भगा पिता हरीया जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. खरतुलाल पिता शंकर जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. बंशीलाल पिता शंकर जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. रतनलाल पिता कना जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

4/1 सुरेश पिता रतनलाल डांगी निवासी गन्दोली खेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

4/2 नीरू पुत्री रतनलाल डांगी निवासी गन्दोली खेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

4/3 श्रीमती लोगरी पत्नी रतनलाल डांगी निवासी गन्दोली खेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. झमकुबाई पत्नी स्व० सुखलाल जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. मीराबाई पुत्री सुखलाल जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. रतनलाल पिता सुखलाल जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. रामलाल पिता सुखलाल जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. मोहन पिता कना जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. भोलीराम पिता कना जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. फेफा पत्नी मोड़ा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. मोतीलाल पिता मोड़ा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गन्दोलीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. पटवारी, पटवार हल्का लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. धनलाल उर्फ धनराज पिता रतनलाल जाति माली निवासी टेकरी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

.....विपक्षीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:51 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सुशील कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी सं. 5 से 8

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 20.03.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गन्दोली खेड़ा, पटवार क्षेत्र लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) की आराजी नम्बर 669/297 रकबा 0.4532 हैक्टर प्रार्थी संख्या 1 के नाम स्वतन्त्र रूप से, आराजी नम्बर 632/297 रकबा 0.9065 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम, आराजी नम्बर 297 रकबा 0.4452 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 4 के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 293 मी. रकबा 0.5989 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम संयुक्त रूप से, आराजी नम्बर 682/501 रकबा 0.2914 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 5 के नाम, आराजी नम्बर 501/293 रकबा 0.2914 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 6 के नाम, आराजी नम्बर 302 रकबा 0.4613 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 7, 8 के नाम दर्ज है।
2. यह कि हम प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिये रास्ता उदयपुर चित्तौड़ आने–जाने के स्टेट हाईवे के सटमा उत्तरी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 4 की आराजी नम्बर 293 के पश्चिमी भाग पर दक्षिण से उत्तर एवं पश्चिम से पूर्व की और जाता हुआ होकर आगे विपक्षी संख्या 5 से 8 की आराजी नम्बर 682/501, 501/293, 302 के उत्तरी भू भाग पर पश्चिम से पूर्व दिशा की और जाता हुआ 15 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ है जो हमारी आराजी नम्बर 297, 669/297 व 632/297 की सीमा के सटमा तक बना हुआ है तथा आराजी नम्बर 293 के दक्षिणी मुहाने पर जहां रास्ता प्रारम्भ होता है उस स्थान पर फाटक लगी हुई है जिससे होकर हमारे पूर्वज एवं हमारे पूर्वजों के पश्चात् हम प्रार्थीगण हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमियों पर आते जाते रहे हैं तथा इसी रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर द्वारा हमारी कृषि भूमि पर लाते ले जाते आ रहे है तथा इसी अनुसार रास्ते का सदीप से हमारे पूर्वज एवं हम प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है। साथ संलग्न नजरी नक्शें में रास्ता को चमकीले रंग से दर्शाया गया है।
3. यहकि हम प्रार्थीगण के पास उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिये उक्त बताए गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है और वर्षो से हमारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:51 IST
Reason: SelfAttested

पूर्वज एवं हम प्रार्थीगण इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आये हैं। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 8 के नाम पर हो है और इन सभी ने आपस में मिलीभगत कर दिनांक 25–07–2022 को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर आये और हमसलाह एक राय होकर उक्त वर्णित आराजीयात पर बने रास्ते को ट्रेक्टर से हकाई करवा दिया तथा रास्ते को अपनी जमीन में मिलाकर उस पर अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर हम प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से होकर हमारी जमीनों में आने जाने से रोक दिया है और समझाने पर भी नहीं माने बल्कि हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया है। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 8 द्वारा उक्त रास्ते में अवरोध पैदा कर हमको उक्त रास्ते से होकर हमारी जमीनों पर आवागमन करने से रोक देने से हम प्रार्थीगण एवं हमारे परिजन अपनी–अपनी कृषि भूमि पर आ जा नही पा रहे है और न ही अपनी जमीनो की सार सम्भाल, हकाई, बाड़ वगैरा ही करवा सक रहे हैं जिससे हम प्रार्थीगण को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और काफी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही है।

4. यह कि वर्तमान में हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिये एकमात्र रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 8 की भूमियों पर ही है जिस रास्ते से होकर ही हमारे पूर्वज एवं हम प्रार्थीगण हमारी जमीनों पर निर्बाध रूप से कृषि कार्य हेतु आवागमन करते रहे है और वर्तमान में भी हम प्रार्थीगण के लिये अपनी–अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने जाने के लिये सुगमता पूर्वक यही मार्ग हैं तथा इसी रास्ते से ही सुगमता पूर्वक हम प्रार्थीगण अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा ला व ले जा सकते हैं। इसके अलावा हमारी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये कोई मार्ग न तो वर्तमान में है और न ही पूर्व में कभी रहा है। हमने हमारी कृषि भूमियो में आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या 1 से 8 को आराजी नम्बर 293, 682/501, 501/293, 302, 297 में स्थित रास्ते पर उत्पन्न किये गये अवरोध को हटाने एवं रास्ता पूर्व अनुसार चालु किये जाने हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 8 ने रास्ते से आवागमन करने देने से साफ इन्कार कर दिया और विपक्षी संख्या 1 से 8 एवं इनके परिवार के सदस्यों ने हमारे एवं हमारे परिवार के सदस्यों के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये हम प्रार्थीगण की जमीनों में आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या 1 से 8 की खातेदारी में अंकित कृषि भूमि में संलग्न नजरी नक्शे में चमकीने रंग से चिन्हित किये गये भू भाग पर बैलगाड़ी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ–जा सके उतनी चौडाई का अर्थात 15 फीट चौड़ा रास्ता विधिक रू... ...म कराया जाना न्यायहित में आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:51 IST
Reason: SelfAttested

है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि हम प्रार्थीगण अदा/जमा कराने को तैयार हैं।

5. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तःस्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुँचने के लिये नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौड़ा कराने का प्रावधान दिया गया हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

6. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 25–07–2022 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 8 ने अपने परिवार के सदस्यों की मदद से रास्ते को हकवा कर अपनी जमीन में मिला दिया और रास्ते में अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर दिया और हम प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आवागमन करने से रोक दिया। जिसपर हम प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 से 8 को उनकी भूमि में स्थित रास्ते से हमारी कृषि भूमि पर आवागमन करने देने एवं रास्ते में कोई अवरोध पैदा नही करने हेतु कहा तो विपक्षी संख्या 1 से 8 ने इन्कार कर दिया और हमारे साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हुए, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें हमारी कृषि भूमियों पर पहुँचने तक के लिए संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से चिन्हित भाग पर 15 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाड़ी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौड़ाई में) मार्ग विधिक रूप से कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 9 व 10 को आदेशित किया जावें और उक्त रास्ते का नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु हम प्रार्थीगण को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 8 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि विपक्षी संख्या 1 से 8 रास्ते (जिसे संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से चिन्हित किया गया है) से होकर प्रार्थीगण को उनकी कृषि भूमियो में शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नही करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करे, न बाधित करे, प्रार्थीगण को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, हांके नही, बाड़ नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:51 IST
Reason: SelfAttested

करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावे।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 5 से 8 का वकालत पत्र अधिवक्ता श्री सुशील कुमार ओस्तवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गन्दोलीखेड़ा की आराजी नम्बर 297, 632/297, 669/297 कुल किता 03 रकबा 1.8049 हैक्ट. में जाने हेतु कोई बिलानाम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का विपक्षीगण की भूमि से प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला नहीं होकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पूर्व दिशा में स्थित खातेदार श्री धनलाल उर्फ धनराज पिता रतनलाल जाति माली निवासी टेकरी के आराजी नम्बर 299 रकबा 1.1898 हैक्ट. किस्म बीड़ व नहरी द्वितीय में से रास्ता प्रस्तावित है। जोकि न्यूनतम दूरी वाला है। उक्त आराजी नम्बर 299 में से प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का रकबा 0.0470 हैक्ट. किस्म बीड़ का वर्तमान डी.एल.सी. दर 788314/हैक्ट. से मूल्यांकन 37050 रूपये है। तथा रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर प्रस्तावित की गई है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक फतहनगर एवं पटवारी हल्का लदानी, नक्शा ट्रेस, तथा जमाबन्दी नकल प्रेषित की गई।

9. तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार निकटतम रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 8 की भूमि में से नही होकर अन्य खातेदार की भूमि से है। प्रस्तावित रास्ता में जाने वाली भूमि के खातेदार को विपक्षी संख्या 11 के रूप में पक्षकार बनाया जाकर जरिये समन तलब किया गया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।

10. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी रास्ते की भूमि की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी की भूमि पर जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नही है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित निकटतम रास्ते हेतु आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 से 8 की भूमि में से

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:51 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता नही दिया जा सकता है। अंत में निवेदन किया कि विपक्षी की भूमि से रास्ता नही दिया जाकर अन्य भूमि से रास्ता दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम गन्दोलीखेड़ा पटवार हल्का लदानी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 139 पर दर्ज आराजी नम्बर 632/297 रकबा 0.9065 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी अधिकार से दर्ज है। ग्राम गन्दोली की बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी नम्बर 305 मी. रकबा 0.3642 हैक्टयर किस्म रास्ता एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 632/297 के मध्य विपक्षी संख्या 11 की आराजी नम्बर 299 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता विपक्षी संख्या 11 की आराजी नम्बर 299 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार निकटतम तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते का रकबा 470 वर्गमीटर भूमि बनती है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। तहसीलदार मावली द्वारा रास्ते की राशि की गणना भी की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:51 IST
Reason: SelfAttested

परन्तु उक्त रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में हाल डीएलसी से गणना करवाकर प्रार्थीगण से राशि लिया जाकर विपक्षी संख्या 11 दिया जाना चाहिए। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम गन्दोली खेड़ा पटवार हल्का लदानी तहसील मावली की आराजी नम्बर 299 रकबा 1.1898 हैक्टर भूमि में से 0.0470 हैक्टयर अर्थात् कुल रास्ते में प्रयुक्त होने वाली 470 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि रास्ते में प्रयुक्त भूमि का राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 11 धनलाल उर्फ धनराज पिता रतनलाल को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। विपक्षीगण द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (FT)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.01 16:48:51 IST
Reason: SelfAttested